

**प्राचार्य का कार्यालय,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।**

ज्ञापांक- 1267 /

दिनांक- 09 / 07 / 2026

कोटेशन आमंत्रण सूचना।

भीषण गर्मी को देखते हुए इस संस्थान के अनुषंगी शाखाओं एवं विभागों में पूर्व से अधिष्ठापित 1.5/2.0 Ton Split A.C. की मरम्मत कार्य कराना अतिआवश्यक है, के आलोक में बिहार सरकार वित्त विभागीय अधिसूचना सं०- 9331 दिनांक- 07.12.2016 के द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली- 1950 के नियम (समय-समय पर यथा संशोधित) 131 (घ) ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) के अन्तर्गत के A.C. की मरम्मत कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति से प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निबंधित/स्पीड डाक द्वारा कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन की प्राप्ति के अंतिम तिथि शाम पाँच बजे तक होगी। यदि 07 वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है, तो उसके अगले दिन 05:00 बजे तक कोटेशन प्राप्त की जायेगी। कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। प्राप्त कोटेशन पर क्रय समिति की बैठक में लिया गया निर्णय अंतिम होगा जिसे अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को मान्य होगा। सभी अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा कराये गये कार्यो का दर वर्तमान बाजार दर से अधिक नहीं है। (बाजार दर से अधिक राशि होने पर अद्योहस्ताक्षरी नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सक्षम होंगे तथा बाजार दर से अधिक भुगतेय राशि मुझसे/फर्म से वसूल की जा सकती है)।

इसे संस्थान के वेबसाइट **www.gmcbettiahwc.com** पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

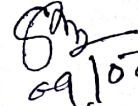
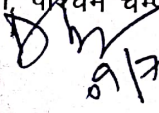
09/07/26
प्राचार्य

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

09/07/26

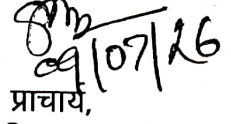
नियम एवं शर्तें

1. कोटेशन कम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए तथा फर्म/प्रतिष्ठान को पूर्ण स्थायी एवं पत्राचार का पता दूरभाष सं०, मोबाईल नं०, ई-मेल आई०डी० वेबसाईट आदि का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।
2. कोटेशन में संलग्न किये गये सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित होना अनिवार्य है।
3. कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में सी०डी० (हार्ड/सॉफ्ट कॉपी) के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में "ए०सी० मरम्मत कार्य हेतु कोटेशन" टंकित करते हुए दर सहित एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबंद कर पी०आर० नम्बर लिखते हुए प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण- 845438 के पदनाम से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाए।
4. अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को बिहार सरकार के श्रम विभाग का निबंधन अनिवार्य है। (छायाप्रति संलग्न करें)
5. अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। (छायाप्रति संलग्न करें)
6. अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को सर्विस टैक्स निबंधित होना अनिवार्य है (छायाप्रति संलग्न करें)।
7. अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होना अनिवार्य है (छायाप्रति संलग्न करें)।
8. अधिकृत एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।


२९/०७/२६
प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

२९/७/२६

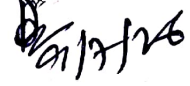
विहित प्रपत्र

क्र० सं०	ए०सी० मरम्मत कार्य का विवरणी	मरम्मत किए गए प्रति ए०सी० का दर (कर सहित)	मरम्मत किए गए प्रति ए०सी० का दर (कर रहित)
01	1.5 Ton Split A.C		
02	2.0 Ton Split A.C		


07/07/26

प्राचार्य,

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।


07/07/26